

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 2018/फाल्गुन 5, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 452
No. 48] DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 2018/ PHALGUNA 5, 1939 [N.C.T.D. No. 452

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं.फा. 3(16)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/91.—दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल एतद्वारा वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 03(16)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/359 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. उपरोक्त अधिसूचना में, अधिकारियों की सूची में "(4) संयुक्त आयुक्त, राज्य कर" शब्दों एवं अंकों के पश्चात् "(4क) उपायुक्त, राज्य कर" शब्दों एवं अंकों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

यह अधिसूचना तत्काल से प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd February, 2018

No. F. 3(16)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/91.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, do hereby makes the following amendment in the notification No. F. 3(16)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/359 dated 30th June, 2017 of the Finance Department, Government of the National Capital Territory of Delhi, namely:-

AMENDMENT

1. In the aforesaid notification, in the list of officers, after the words and figures “(4) Joint Commissioners of State Tax”, the words and figures “(4A) Deputy Commissioners of State Tax” shall be inserted.

This Notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 4/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(86)/वित्त(राज-1)/2017-18/डीएस-VI/92.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में किसी मास/तिमाही के लिए जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त ब्यौरे देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 4/2018-State Tax

No. F. 3(86)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/92.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the details of outward supplies for any month/quarter in **FORM GSTR-1** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where there are no outward supplies in any month/quarter, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said details by the due date under section 47 of the

said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 23rd day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 5/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(87)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/93.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-5** में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां उक्त विवरणी में, राज्य कर की कुल संदेय रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 5/2018-State Tax

No. F. 3(87)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/93.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-5** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 23rd day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 7/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(89)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/94.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-6** में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 7/2018- State Tax

No. F. 3(89)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/94.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-6** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 23rd day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 9/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(90)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/95.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग 4, में सं. फा. 03(10)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/341 तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना (जिसे केंद्र की अधिसूचना सं. 4/2017 केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 के सन्दर्भ में जारी किया गया था) उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण.-

- (1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिस का प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है; और
 - (2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है।
2. यह अधिसूचना 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पण : मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग 4, संख्या सं. फा. 03(10)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/341, तारीख 22 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 9/2018–State Tax

No. F. 3(90)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/95.—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) and in supersession of the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) State Tax dated 22nd June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F. 3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/341, dated the 22nd June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and www.ewaybillgst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.-

- (1) For the purposes of this notification, “www.gst.gov.in” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)
 - (2) For the purposes of this notification, “www.ewaybillgst.gov.in” means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.
2. This notification shall come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note : The principal notification of State Tax (issued in reference to GOI notification No. 4/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017) was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F. 3(10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/341, dated the 22nd June, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 6/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(88)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/96.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-5क** में देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 6/2018- State Tax

No. F. 3(88)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/96.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-5A** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of integrated tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 23rd day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.- VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 1/2018-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(85)/वित्त(राज.-1)/2017-18/ डीएस-VI/97.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार

पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असारधारण के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,

(i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियों का स्व:स्थानिक पुनर्विकास;”;

(ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों से संबंधित हो;

(घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो”;

(iii) उप मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो,”

ख. मद (v) में,

(i) उप मद (क) में “छोड़कर” शब्द के स्थान पर “समेत” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा,

“(घक) किसी एफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फाइल संख्या 13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो;”;

ग. मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ix) दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (iii) या (vi) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो।	6	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।

(x) दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो	2.5	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(xi) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(xii) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) से भिन्न हों।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में "प्राकृतिक गैस" शब्दों के स्थान पर "प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हाई स्पीड डीजल या एविएशन ट्रबाईन फ्यूल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, से पृथक) पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न।	9	-";

(घ) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	शीर्ष 9972	(i) भूमि को पट्टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	-
		(ii) पट्टे या उप पट्टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग) में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है।	शून्य	-

		बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्टे या उप-पट्टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो। इस परन्तुक के संदर्भ में "कुल राशि" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है।		
		(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) से पृथक रीएल एस्टेट सेवाएं	9	-";

(ड) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बुल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, में लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(viii) पट्टा या किराए की सेवाएं चाहे आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) से पृथक हैं।	राज्य कर की वही दर जो कि इसी प्रकार के माल, जिसमें माल के स्वामित्व का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लागू हो।	-";

(च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में, "सेवाओं की आपूर्ति", शब्दों के पश्चात् "इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य टूर आपरेटर से ली गई टूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट से भिन्न" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न हों।	9	-";

(ज) (i) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) की प्रविष्टि में दिए गए स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (i) में उप उपवाक्य (छ) के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा;";

(ii) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, खनन या ड्रीलिंग की सेवा	6	-
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संवितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों।	9	-";

(झ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25	शीर्ष 9987	(i) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न।	9	-";

(ञ) क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

क. मद (i) उप मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(ड.क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमशः चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण";

ख. मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) टेलरिंग सेवाएं	2.5	-
(iv) दूसरे के स्वामित्व में आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (i)क, (ii), (ii)क और (iii) से भिन्न।	9	-";

(ट) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"32	शीर्ष 9994	(i) कॉमन ईफ्ल्येंट प्लांट के द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं	6	-
		(ii) सिवेज और कचड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त (i) से भिन्न	9	-";

(ठ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3),

क. मद (iii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) मनोरंजन पार्कों जिसमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइडस, मैरीगो राउंडस, गो-कार्टिंग भी आते हैं और बूले में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	9	-
(iii)क) मनोरंजन समारोह में प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का	14	-";

प्रदर्शन, कैसिनो, रेस क्लब और क्रीड़ा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमीयर लीग भी शामिल है और इसी तरह के अन्य बातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।		
---	--	--

ख. मद (vi) में, कोष्ठक और अंक "(iii)" के बाद कोष्ठक और अंक "(iiiक)," को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक); और मद (vi) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा।

स्पष्टीकरण – उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, “कुल राशि” से अभिप्राय -

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्टा या उप पट्टा भी शामिल है, के योग से है”

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 के रूप में जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 28 नवम्बर, 2017, जिसे सं. फा. 03(64)वित्त/ (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/772, दिनांक 28 नवम्बर, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 1/2018-State Tax (Rate)

No. F. 3(85)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/97.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1) No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), -

A. in item (iv),-

(I) for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -

‘(c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ redevelopment of existing slums using land as a resource, under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan MantriAwasYojana (Urban);’;

(II) after sub-item (d), the following sub-items shall be inserted, namely: -

‘(da) a civil structure or any other original works pertaining to the “Economically Weaker Section (EWS) houses” constructed under the Affordable Housing in partnership by State or Union territory or local authority or urban development authority under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan MantriAwasYojana (Urban);

(db) a civil structure or any other original works pertaining to the “houses constructed or acquired under the Credit Linked Subsidy Scheme for Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group (LIG)/ Middle Income Group-1 (MIG-1)/ Middle Income Group-2 (MIG-2)” under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan MantriAwasYojana (Urban);’;

(III) after sub-item (f), the following sub-items shall be inserted, namely: -

“(g) a building owned by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which is used for carrying out the activities of providing, centralised cooking or distribution, for mid-day meals under the mid-day meal scheme sponsored by the Central Government, State Government, Union territory or local authorities.”;

B. in item (v),

(I) in sub-item (a), for the word “excluding”, the word “including” shall be substituted;

(II) after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(da) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in an affordable housing project which has been given infrastructure status vide notification of Government of India, in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide F. No. 13/6/2009-INF, dated the 30th March, 2017;”;

C. for item (ix) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ix) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (iii) or item (vi) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	6	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(x) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (vii) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(xi) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].

(xii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) above.	9	-";
--	---	-----

- (b) against serial number 9, in the entry in column (3), in item (v), for the words "natural gas", the words and brackets "natural gas, petroleum crude, motor spirit (commonly known as petrol), high speed diesel or aviation turbine fuel" shall be substituted;
- (c) against serial number 10, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) and (ii) above.	9	-";

- (d) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	Heading 9972	(i) Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to governmental authority or government entity, by way of lease of land.	Nil	-
		(ii) Supply of land or undivided share of land by way of lease or sub lease where such supply is a part of composite supply of construction of flats, etc. specified in the entry in column (3), against serial number 3, at item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi). Provided that nothing contained in this entry shall apply to an amount charged for such lease and sub-lease in excess of one third of the total amount charged for the said composite supply. Total amount shall have the same meaning for the purpose of this proviso as given in paragraph 2 of this notification.	Nil	-
		(iii) Real estate services other than (i) and (ii) above.	9	-";

- (e) against serial number 17, for item (vii) in column (3), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) above.	Same rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods.	-";

- (f) in serial number 23, against item (i) in column (3), in condition 1 in column (5), after the words “supplying the service”, the words and brackets “, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. tour operator service procured from another tour operator)” shall be inserted;
- (g) against serial number 23, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Support services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (h) against serial number 24,-

A. in the *Explanation* to item (i) in column (3), in clause (i), after sub-clause(g), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;

B. for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Service of exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both.	6	-
(iii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution other than (ii) above.	9	-”;

- (i) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	Heading 9987	(i) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
		(ii) Maintenance, repair and installation (except construction) services, other than (i) above.	9	-”;

- (j) against serial number 26, in column (3),-

A. in item (i), after sub-item (e), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(ea) manufacture of leather goods or footwear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) respectively;”;

B. for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Tailoring services.	2.5	-
(iv) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i), (ia), (ii), (iia) and (iii) above.	9	-”;

(k) for serial number 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	Heading 9994	(i) Services by way of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant.	6	-
		(ii) Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services other than (i) above.	9	-”;

(l) against serial number 34, in column (3),-

A. for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of admission to amusement parks including theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting and ballet.	9	-
(iia) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, casinos, race club, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	14	-”;

B. in item (vi), after the brackets and figures “(iii)”, the brackets and figures “(iia),” shall be inserted;

(ii) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely: -

“2. In case of supply of service specified in column (3), in item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi), against serial number 3 of the Table above, involving transfer of land or undivided share of land, as the case may be, the value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of such transfer of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation. –For the purposes of this paragraph, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be including by way of lease or sublease.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 25th day of January, 2018.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.- VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, vide notification No. 11/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide number No. F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 46/2017- State Tax (Rate), dated the 28th November, 2017 vide number No. F3(64)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/772, dated the 28th November, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 3/2018-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(91)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/98.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं. फा. 03(15)/ वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क	दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।'

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/ वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 12 दिसंबर, 2017 जिसे सं0फा0 03(46)/ वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/807, 12 दिसंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 3/2018- State Tax (Rate)

No. F. 3(91)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/98.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.";

- (ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

'(f) "insurance agent" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).'

2. This notification shall come into force with effect from the 25th day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, vide notification No. 13/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide number No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 33/2017 – State Tax (Rate), dated the 12th December, 2017 vide number No. F. 3(46)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/807 dated the 12th December, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

संख्या 4 / 2018—राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(92)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/99.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात :-

- (क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और
- (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करते हैं जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर राज्य कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 04/2018-State Tax (Rate)

No. F. 3 (92)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/99.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely :-

- (a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- (b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay state tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

2. The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

7/2018—राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(93)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/100.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग(राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/374 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 102 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न] को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	बिनौले की खली";

- (iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7117" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में "कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं", शब्दों के स्थान पर "घमेला से भिन्न" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "विभूति" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

"151	कोई भी अध्याय	"सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे";
------	---------------	--

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 42/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 नवम्बर, 2017 जिसे सं.फा. 03(60)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/779 दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 07/2018– State Tax (Rate)

No. F. 3(93)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/100.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/374 dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

- (i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry “Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]”, shall be substituted;
- (ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake”;

- (iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry “7117” shall be substituted’;
- (iv) in S. No. 137, in column (3), after the words “used in agriculture, horticulture or forestry” the words, “other than ghamella”, shall be added;
- (v) in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v), the entry “Vibhuti”, shall be substituted;
- (vi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“151	Any chapter	“Parts for manufacture of hearing aids”;
------	-------------	--

2. The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/374 dated the 30th June, 2017 and last amended by Notification No. 42/2017 State Tax(Rate) dated 30th November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (60)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/779, dated the, 30th November, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

संख्या 8/2018—राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(94)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/101.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट उतने राज्य कर से छूट प्रदान करती है, जितना की वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	1200 सी सी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मि मी या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित मोटर वाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	9%
2.	8703	1500 सी सी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मि मी की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटर वाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटरवाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	9%
3.	8703	पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो, जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो, जिनमें यूटिलिटी व्हीकल भी आते हैं। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मीलीमीटर से अधिक हो और जिनका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मीलीमीटर और इससे अधिक हो।	9%
4.	87	सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न	6%

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

- ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यहास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यहास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और
- अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 2 की उपधारा (63) में परिभाषित इन पुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो।
3. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 08/2018-State Tax (Rate)

No. F. 3(94)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/101.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the state tax on intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are given in corresponding entry in column (2), from so much tax as specified in Schedule IV of Notification No. 1/2017–State Tax (Rate), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4), of the said Table, on the value that represent margin of the supplier, on supply of such goods.

Table

S. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	Old and used, petrol Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity of 1200 cc or more and of length of 4000 mm or more. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%
2.	8703	Old and used, diesel driven motor vehicles of engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%

3	8703	Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles. Explanation. - For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm. and above.	9%
4.	87	All Old and used Vehicles other than those mentioned from S. No. 1 to S. No. 3	6%

Explanation – For the purposes of this notification, -

- (i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply, and where the margin of such supply is negative, it shall be ignored; and
 - (ii) in any other case, the value that represents the margin of supplier shall be, the difference between the selling price and the purchase price and where such margin is negative, it shall be ignored.
2. This notification shall not apply, if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in clause (63) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT as defined in CENVAT Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid, on such goods.
 3. This notification shall come into force with effect from the 25th January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

संख्या 9/2018—राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(95)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/102.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व -1) की अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 28 नवम्बर, 2017 सं. फा. 03(63)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/771 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों"

(ii) कॉलम 4 में, 'विज्ञान और अनुसंधान विभाग' शब्दों के स्थान पर 'विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में, "विज्ञान और अनुसंधान विभाग" शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

इस सारणी के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी.”.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को सं. फा. 03(63)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/771, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 09/2018-State Tax (Rate)

No. F. 3(95)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/102.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”) read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 28th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(63)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/771 dated the 28th November, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Table, -

(a) against serial number 1, -

(i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital”;

(ii) in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted;

(b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted.

(2) after the Table, the existing *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“**Explanation 2.** - For the the purposes of this notification, exemption would be in line with the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96- Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.”.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National

Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 28th November, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(63)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/771 dated the 28th November, 2017.